रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल याचिका संख्या -2967/2012

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम .... अपीलार्थी (गण)

बनाम

एलेक्सिक्स सोनियर व अन्य ..... प्रतिवादी (गण)

के साथ

सिविल याचिका संख्या 9944-9946/2011

(मोटर वाहन अधिनियम, 1988: धारा 166 - दुर्घटना का दावा - दावेदार, अमेरिकी नागरिक भारत में रहते हुए निगम की बस को तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया - उसे चोटें आईं और उपचार के बाद चिकित्सकों की चिकित्सीय देखरेख में हवाई मार्ग से अमेरिका ले जाया गया - मुआवज़े का दावा - दिनांक 11.7.1990 के आदेश द्वारा 11 व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के लिए अमेरिका जाने के लिए

आयुक्त को नियुक्त किया गया - आयुक्त द्वारा साक्ष्य दर्ज किए गए - निगम द्वारा उन व्यक्तियों के आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य के संबंध में आपत्ति नहीं की गई, जिनका नाम दिनांक 11.7.1990 के आदेश में नहीं था - संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा व्यय के संबंध में मेडी-कैल द्वारा वहन की गई राशि को शामिल करते हुए विशेष क्षति के संदर्भ में न्यायाधीकरण ने 1.25 करोड़ रुपये का मुआवजा पारित किया - निगम और दावेदार दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की - निगम द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क कि जिन व्यक्तियों के नाम दिनांक 11. 7. 1990 के आदेश में नहीं थे, उनके साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता - उच्च न्यायालय ने विशेष क्षति मद के तहत राशि को इस आधार पर हटा दिया कि भारत में अदालतों के पास इस तथ्य को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि उक्त राशि का दावेदार द्वारा संबंधित मेडी -कैल विभाग को भुगतान किया जाएगा या नहीं -इसके अलावा, यह माना गया कि आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए व्यक्तियों के बयानों को इस तथ्य के मद्देनजर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है कि निगम ने पहले आपत्ति नहीं उठाई थी - अभिनिर्धारित किया गया : न्यायाधिकरण ने विशेष रूप से अभिलिखित किया कि निगम के अधिवक्ता से पूछा गया था कि क्या उन्हें गवाहों बयानों को रिकॉर्ड पर लेने में कोई आपत्ति है लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर ले लिए गए - मामले के इस दृष्टिकोण में; अब निगम के लिए यह दलील उठाना उपयुक्त नहीं है - इस बात के साक्ष्य हैं कि बस लापरवाही से और तेजी से चलाई गई थी -

इसलिए, दुर्घटना का अंशदायी लापरवाही का परिणाम होने का सवाल ही नहीं उठता - उच्च न्यायालय ने सही कहा कि इस बात पर नज़र रखना मुश्किल है कि 'विशेष क्षति ' मद के तहत दी गई राशि का भुगतान मेडी -कैल विभाग को किया जाएगा या नहीं, और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे को उक्त श्रेणी में अस्वीकार करना उचित था - हालाँकि; दावेदार जीवन भर एक परिचारक रखने के लिए 10 लाख रुपये का दावा करने का हकदार है - याचिका - नई दलील)

निर्णय

आर. के. अग्रवाल , न्यायाधीश

<u>सिविल याचिका संख्या - 2967/2012</u>

1) यह अपील राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में 'निगम') द्वारा दायर की गई है - अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ, जयपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.04.2010 के खिलाफ दायर की गई है। एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या 2629/2003 जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा 'विशेष क्षति' श्रेणी के तहत प्रदान की गई 125,348.01 यूएस डॉलर की राशि को अस्वीकार कर दिया गया है और पंचाट के शेष भाग को बरकरार रखा गया है।

<u>सिविल अपील संख्या - 9944-9946/ 2011</u>

2) उपरोक्त अपीलें एलेक्सिस सोनियर द्वारा वाद मित्र श्रीमती डोमिनिक सोनियर (उनकी माँ) के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि में वृद्धि के लिए दावेदार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

<u>संक्षिप्त तथ्यः</u>

3) एलेक्सिस सोनियर-दावेदार एक अमेरिकी नागरिक है। 08.01.1988 को, दावेदार गुजरात राज्य के अहमदाबाद से लेकर नई दिल्ली के राजघाट तक विभिन्न अन्य देशों के नागरिकों के साथ 'शांति मार्च' में भाग ले रहा था। अन्य व्यक्तियों के एक समूह के साथ उपरोक्त मार्च में भाग लेते समय, जयपुर और दिल्ली के बीच, चंदवाजी के पास, निगम की एक बस, जिसका पंजीकरण संख्या आरएनपी-897 है, जिसे बनवारी लाल चौधरी नामक व्यक्ति तेजी और लापरवाही से चला रहा था। बहुत तेज गति से आया और दावेदार को पीछे से टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप, दावेदार सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया और उक्त दुर्घटना में घायल हो गया। दावेदार को जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल ले जाया गया जहां यह पाया गया कि अन्य चोटों के अलावा उसके सिर में भी चोट लगी थी। दावेदार के तीन सर्जिकल ऑपरेशन किए गए, लेकिन, वह होश में नहीं आया। चिकित्सकीय सलाह पर, दावेदार को वाडिलाल साराभाई अस्पताल,

अहमदाबाद, गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया और सभी संभव प्रयासों के बावजूद, दावेदार की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उसे 22.04.1988 को अहमदाबाद के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और चिकित्सकों की चिकित्सकीय देखरेख में हवाई मार्ग से संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया गया। दावेदार ने, अपनी वाद मित्र श्रीमती डोमिनिक सोनीर-अपनी माँ के माध्यम से, एक अधिकृत व्यक्ति, अर्थात सुरेंद्र नाथ सिंह जवेरिया के माध्यम से दावा याचिका दायर की। दावेदार की माँ श्रीमती डोमिनिक सोनियर भी उस अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उक्त दावा याचिका में शामिल हुईं। दावा याचिका में, दुर्घटना, चोटों और उपचार के पूरे तथ्यों का वर्णन करने के बाद, कुल रुपये 2,02,36, 000/- मुआवजे के रूप में दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की वास्तविक तारीख तक प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज के साथ दावा किया गया था।

4) जिन विभिन्न मुख्य बिन्दु के तहत दावेदार ने क्षति /मुआवजे का दावा किया था, वे इस प्रकार हैंः-

(i) भारत में किए गए उपचार के लिए:- 1,50,000/- रुपये - 16411.79 रुपये = 1,33, 588.21 रुपये

(ii) डॉ. चावला को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाने वाला खर्च + रोगी को हवाई मार्ग से जयपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित करने में खर्च की गई राशि:- 1,40,000/- रुपये

(iii) अमेरिका में इलाज के लिए खर्च की गई राशि:- 13,00,000/-रुपये

(iv) एक नर्स को घर पर रखने के लिए खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि 40, 000/-रुपये प्रति माह। इस मद के अंतर्गत 4,00,000/- रुपये का दावा किया है।

(v) आय के नुकसान के लिए मुआवजा:- 1,68,000/-रुपये

(vi) भविष्य की आय के नुकसान के लिए मुआवजा:- 1,25,00, 000/-रुपये

(vii) शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा:-25,00,000/-रुपये

(viii) सहायक की आवश्यकता के लिए मुआवजा 25,00,000/-रुपये

(ix) एक परिचारक रखने के लिए मुआवजा:- 10,00,000/-रुपये

(x) उसकी मां की आय के नुकसान का मुआवजा, जो उसकी देखभाल करेगी:- 10,00,000/-रुपये

इसलिए, कुल राशि 2,02,36,000/-रुपये का दावा किया गया था।

5) निगम ने तकनीकी आधार पर आपत्तियां उठाने के अलावा दावा याचिका में बताए गए तरीके से दुर्घटना होने से इनकार किया। एक विशिष्ट रुख अपनाया गया कि दुर्घटना स्वयं दावेदार की लापरवाही के कारण हुई और, अधिक से अधिक, यह अंशदायी लापरवाही का मामला था क्योंकि दावेदार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच रास्ते में वह पीछे

हट गया और दुर्घटना का शिकार हो गया। आगे यह तर्क दिया गया था कि जयपुर में सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं और जयपुर में पूरा इलाज कराए बिना दावेदार को जयपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही, दावेदार को उचित उपचार के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और निगम दावेदार-प्रतिवादी संख्या 1 की स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं था। इसके अलावा, दावा याचिका में खर्च बहुत अधिक और बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए थे इसलिए मुआवजे की राशि का भी दावा किया गया था।

6) न्यायाधिकरण ने दावा याचिका को कानून के अनुसार और उचित रूप से प्रस्तुत किया गया माना। हालाँकि, इसने माना कि दुर्घटना निगम के चालक की ओर से लापरवाही के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर निम्नानुसार हर्जाना दिया:-

(ए) विशेष नुकसान

	डॉलर/रुपये
(i) भारत में उपचार पर खर्च:-	50,000/-रुपये
(ii) जयपुर से अहमदाबाद के लिए हवाई किराया-	4,000/-रुपये
(iii) अहमदाबाद से अमेरिका का हवाई किराया:-	1,00,000/-रुपये
(iv) संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा व्यय	125, 348.01
मेडी-कैल द्वारा वहन किया गया-	

(v) संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा खर्च 25, 000.00

माता-पिता द्वारा वहन किया गया-

(vi) चिकित्सा उपचार पर भविष्य का खर्च 4,00,000/-

(vii) दावेदार को आय का नुकसान:- 408, 000.00

(viii) देखभाल करने वाली माता की आय का नुकसान 81, 584.00

(ix) सेवकके प्रबंधन के लिए भविष्य के खर्च 60,000.00

(x) दो आयोगों पर खर्च:- 1,61,954/-

(b) सामान्य क्षति

(i) दर्द, पीड़ा और मानसिक पीड़ा के लिए:- 10,00,000/-

(ii) सुख-सुविधाओं की हानि और जीवन के आनंद के लिए:-10,00,000/-

कुल:- $699, 932.01 रु. 27,15,954/-

अतः कुल नुकसान रुपयों में:- (699932.01 x 14) + 2715954 = 1,25,15, 002.14 रुपये, पूर्णांक मे यह 1,25,15,002/- रुपये है।"

न्यायाधिकरण ने दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात 07.07.1988 से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का फैसला किया, जो कि 25,000/- रुपये की राशि में कटौती करने के बाद जो साक्ष्य दर्ज करने के

लिए नियुक्त किए गए दो आयुक्तों को भुगतान किया गया और दावेदार को भारत में इलाज आदि के लिए निगम द्वारा किए गए खर्च और भुगतान की गई राशि के लिए 1,16,411.69/- रुपये का भुगतान किया गया।

7) दिनांक 29.09.2003 के निर्णय से व्यथित होकर, निगम और दावेदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को दावे के संबंध में आपसी समझौते पर पहुंचने का अवसर दिया लेकिन निगम ने मामले पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदार द्वारा 11 व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाले एक आवेदन पर, न्यायाधिकरण ने दिनांक 11.07.1990 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को आदेश में उल्लिखित 11 व्यक्तियों के बयान दर्ज करने की अनुमति दी और उस उद्देश्य के लिए एक आयुक्त भी नियुक्त किया। अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि एडब्ल्यू-10ए से एडब्ल्यू-19 तक, जिनमें से एडब्ल्यू-18 को छोड़कर सभी का नाम दिनांक 11.07.1990 के आदेश में नहीं थे। आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट और उनके द्वारा दर्ज किए गए सभी व्यक्तियों के साक्ष्य न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए। दिनांक 11.07.1990 के आदेश में नामित नहीं किए गए व्यक्तियों के साक्ष्य दर्ज करने के संबंध में निगम द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। वास्तव में, न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 24.06.1991 में विशेष रूप से अभिलिखित किया है कि निगम की ओर से

पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष भंडारी से पूछा गया था कि क्या उन्हें गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर लेने में कोई आपत्ति है लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर ले लिए गए।

8) उच्च न्यायालय के समक्ष निगम ने आपत्ति जताई कि आयुक्त द्वारा दिनांक 11.07.1990 के आदेश में जिन व्यक्तियों का नाम नहीं थे, उनके अभिलिखित किये गये साक्ष्यों पर विचार नहीं किया जा सकता। निगम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडी-कैल द्वारा वहन किए गए चिकित्सा खर्चों के संबंध में 'विशेष क्षति' मद के तहत 125, 348.01 अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति देने के न्यायाधिकरण के आदेश पर भी इस आधार पर आपत्ति जताई कि गवाह एडब्ल्यू-18 ने स्वीकार किया कि कैलिफ़ोर्निया राज्य में एक चिकित्सा कार्यक्रम लागू है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति किसी बीमा के अंतर्गत नहीं आते थे और/या अपने चिकित्सा व्यय का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनके सभी चिकित्सा व्यय राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे। निगम के अनुसार, चूंकि उपरोक्त राशि मेडी-कैल द्वारा वहन किए गए चिकित्सा व्यय के मद के तहत दी गई है, इसलिए दावेदार को 125, 348.01 अमेरिकी डॉलर की उपरोक्त राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है और इसे कम किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष आगे यह तर्क दिया गया कि दावेदार निगम के चालक की ओर से लापरवाही साबित करने में विफल रहा है और न्यायाधिकरण ने निगम को आवेदन करने और उत्तरदायी ठहराने में गलती की है। उच्च न्यायालय

ने, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करते हुए, न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को बरकरार रखा कि निगम की बस का चालक लापरवाही से बस चला रहा था और यह अंशदायी लापरवाही का मामला नहीं है, हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विशेष क्षति के शीर्ष के तहत 125,348.01 अमेरिकी डॉलर की राशि को इस आधार पर हटा दिया कि भारत में अदालतों के पास इस तथ्य को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि दावेदार द्वारा संबंधित मेडि-कैल विभाग को उपरोक्त राशि का भुगतान किया जाएगा या नहीं। और इसके अलावा, ऐसी किसी भी योजना का कोई भी वैधानिक अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था ताकि न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए ऐसी किसी योजना के अस्तित्व का प्रमाण मिल सके। इसके अलावा, दावा याचिका में मेडि-कैल प्रोग्राम द्वारा खर्च की गई राशि और उक्त विभाग को उक्त राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई दावा नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दिनांक 11.07.1990 के आदेश के अनुसार आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए व्यक्तियों के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निगम ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, जैसा कि 24.06.1991 के आदेश से स्पष्ट होगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट की राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया कि इसे अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

9) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया। चूँकि इन अपीलों में कानून और तथ्यों का एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, इसलिए इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

10) निगम के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने दावेदार को मुआवजा देने के न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखने में कानूनी गलती की है जो अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि दावेदार ने अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में किसी भी नुकसान का दावा नहीं किया था और दावा केवल भारतीय मुद्रा में किया गया था, इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अमेरिकी डॉलर में कुछ दावों के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे का निर्णय कानून में उचित नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि 14 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय दर लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इसमें दावा ही नहीं किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निगम की बस के चालक की कोई गलती नहीं थी और वह बस को जल्दबाजी या तेजी से नहीं चला रहा था और वास्तव में, यदि दुर्घटना अंशदायी लापरवाही का परिणाम थी, और इसलिए, निगम नुकसान या मुआवजे के रूप में किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

11) दूसरी ओर, दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडी-कैल द्वारा वहन किए गए चिकित्सा व्यय को हटाना

उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था। जैसा कि कैलिफोर्निया राज्य में है, यह सरकार की नीति है कि राज्य द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार दिया जाना चाहिए जो वहन करने में असमर्थ हैं और ऐसे व्यक्तियों को किसी अन्य द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, हालांकि, यदि किसी चिकित्सा व्यय की कोई प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है, तो इसे राज्य को जाना है। उन्होंने आगे कहा कि दावेदार मेडी-कैल द्वारा वहन किए गए खर्चों के तहत न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि का हकदार था। उन्होंने आगे कहा कि दावेदार सहायक/परिचारक के लिए खर्च की जाने वाली राशि का भी हकदार है क्योंकि दावेदार को मस्तिष्क की चोट लगी थी और उसे बिस्तर तक सीमित कर दिया गया था। उनके अनुसार, चूंकि जो खर्चे किए गए है और जो खर्च किए जाने है वह अमेरिकी डॉलर में है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय पारित करने के समय प्रचलित विनिमय दर दी जानी चाहिए। इसके समर्थन में, उन्होंने अदालत के निर्णय ***संजय वर्मा बनाम हरियाणा रोडवेज*** (2014) 3 एस. सी. सी. 210 पर भरोसा जताया।

12) निगम द्वारा ली गई इस दलील के संबंध में कि अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा अभिलिखित किए गए व्यक्तियों के बयान, जिनका नाम दिनांक 11.07.1990 के आदेश में नहीं था, को अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता है, हम पाते हैं कि आयुक्त ने एडबल्यू-10ए से एडबल्यू- 19 तक एडबल्यू-18 को छोड़कर साक्ष्य अभिलेख पर लिए है जिनका नाम दिनांक

11.07.1990 के आदेश में नहीं था, फिर भी, जब आयुक्त ने दर्ज किए गए साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट दायर की, तो निगम के अधिवक्ता से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया क्या उन्हें कोई आपत्ति है, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 24.06.1991 के आदेश से स्पष्ट होगा, जिसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "आवेदक की ओर से श्री भारतीय और आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से श्री मनीष भंडारी और आयुक्त श्री भाग चंद जैन उपस्थित हैं। आज कोर्ट कमिश्नर श्री भाग चंद जैन ने अमेरिका जाकर 10 गवाहों के जो बयान दर्ज किये थे, उन्हें संलग्न करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। श्री मनीष भंडारी से पूछा गया कि क्या उन्हें गवाह डॉ. ई. स्कूट कॉनर, डॉ. थॉमस जेड. वेबर, श्री कर्टनी बिलुप्स, श्री केंट फर्गुसन, श्री वाल्टर जोसेफ बेबीन, श्री जान रॉबर्ट, श्रीमती नैन्सी ब्रूक्स, सुश्री मौरीन मैकेंजी, श्रीमती कैरोल केलॉग और श्री इवान सोनियर के बयानों को अभिलेख पर लेने पर कोई आपत्ति है। श्री इवान सोनियर जो उनकी उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसलिए गवाहों के उपरोक्त बयानों को अभिलेख पर लिया जाता है और एडब्ल्यू 10ए और एडब्ल्यू-19 के रूप में

प्रदर्शित किया जाता है। आवेदक अपने बयान समाप्त करता है।''

मामले के इस दृष्टिकोण से, अब निगम के लिए यह दलील देने का रास्ता खुला नहीं है।

13) जहां तक प्रश्न है कि क्या 08.01.1988 को हुई दुर्घटना अंशदायी लापरवाही का परिणाम थी या निगम की बस का चालक जल्दबाजी और तेजी से गाड़ी चला रहा था, हम पाते हैं कि बस के चालक ने इस बात से इनकार किया था कि वास्तव में कोई दुर्घटना हुई थी, हालांकि, नक्शा मौका (प्रदर्श-52), जिसे उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया है, यह दर्शाता है कि बस को पर्याप्त तेज गति से चलाया गया था और बस के टायरों के घिसने के निशान लगभग 32 फीट लंबे हैं जो बस की गति के कारण थे। बस की गति काफी अधिक थी और प्रासंगिक समय पर इसे तुरंत नहीं रोका जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि बस को लापरवाही से और बहुत तेज गति से चलाया गया था।इसलिए, अंशदायी लापरवाही के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटना का सवाल ही नहीं उठता। जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा हटाए गए मेडी-कैल के संबंध में हर्जाने/पंचाट की राशि के संबंध में प्रश्न है, हमारी सुविचारित राय है कि कैलिफोर्निया राज्य में एक योजना है जिसके तहत व्यक्ति जो दावेदार की तरह किसी भी बीमा योजना के तहत कवर नहीं हैं, उन्हें विस्तारित चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके लिए ऐसे

व्यक्तियों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है और केवल प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि मेडि-कैल विभाग को सौंपनी होती है। वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि मेडि-कैल विभाग ने दावेदार के इलाज का खर्च पहले ही वहन कर चुका है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है, इस पर नज़र रखना बहुत मुश्किल होगा कि क्या इस मद के तहत दी गई राशि का भुगतान मेडी-कैल विभाग को किया जाएगा या नहीं, और इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने मेडी-कैल से संबंधित 'विशेष क्षति' श्रेणी के तहत यूएस $125,348.01 की अनुमति नहीं देकर न्यायाधिकरण के निर्णय को संशोधित करना उचित ठहराया था।

14) हालांकि, हम पाते हैं कि दावेदार ने पूरे जीवन के लिए एक परिचारक रखने के लिए 10 लाख रुपये की राशि का दावा किया था। न तो न्यायाधिकरण ने और न ही उच्च न्यायालय ने उक्त शीर्ष के तहत कोई राशि दी थी। हम पाते हैं कि संजय वर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां दुर्घटना की तारीख से लेकर उसके जीवित रहने तक परिचारक की लागत के लिए कोई दावा किया जाता है और यह साबित भी हो जाता है, तो वह दावा न्यायोचित है। संजय वर्मा (उपरोक्त) के पैराग्राफ 22 में इस अदालत ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "22. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर दावा याचिका में दावेदार ने दुर्घटना की तारीख से जीवित

रहने तक परिचारक की लागत के रूप में 2,00,000 रुपये की राशि के लिए अनुरोध किया है। दावेदार ने अपने बयान में कहा था कि उसे हर समय अपने साथ रहने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दावेदार के उपरोक्त कथन का विधिवत समर्थन पीडब्लू 1 के साक्ष्य द्वारा किया जाता है जिसने दावेदार की चिकित्सा स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। उपरोक्त सामग्रियों से, हम संतुष्ट हैं कि इस संबंध में किया गया दावा उचित है और उपरोक्त मद के तहत दावेदार द्वारा दावा की गई 2,00,000 रुपये की राशि पूरी तरह से प्रदान की जानी चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं।"

ऊपर दिए गए संजय वर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, हम तदनुसार मानते हैं कि दावेदार उसकी देखभाल के लिए जीवन भर एक परिचारक रखने पर होने वाले खर्च के लिए 10 लाख रुपये साथ मे दावा याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की राशि का हकदार है।

15) हमने आगे पाते हैं कि भले ही दावेदार ने दावा याचिका में अमेरिकी डॉलर में किसी भी राशि का दावा नहीं किया था और पूरा दावा भारतीय मुद्रा में था, न्यायाधिकरण द्वारा 'विशेष क्षति' शीर्षक के तहत कुछ वस्तुओं

के संबंध में दी गई राशि 'अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में दी गई है और विनिमय दर 14 प्रति अमेरिकी डॉलर की दर से लागू की गई है। यह इस विशिष्ट निष्कर्ष पर किया गया है कि दावेदार ने स्वयं 14 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर का दावा किया था। हालांकि इस न्यायालय ने ***यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य बनाम पेट्री सिया जीन महाजन व अन्य*** (2002) 6 एस. सी. सी. 281 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि इस उद्देश्य के लिए तीन प्रासंगिक तिथियां होंगी, अर्थात् वह तिथि जिसको राशि देय हुई, वाद दायर करने की तिथि और निर्णय की तिथि और दोनों पक्षों के लिए इन तिथियों में से नवीनतम तिथि, अर्थात् डिक्री के पारित होने की तिथि को विनिमय दर लागू करने के लिए प्रासंगिक तारीख के रूप में लेना उचित होगा। फिर भी, जहां डिक्री पारित करने की प्रार्थना रुपये में इंगित की जाती है, वहां विनिमय की कौन सी दर लागू की जाएगी, इसके बारे में कोई विवाद नहीं होगा। जैसा कि वर्तमान मामले में, हम दावा याचिका से पाते हैं कि दावेदार ने केवल भारतीय रुपये में राशि का दावा किया था और अमेरिकी डॉलर का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है, किसी भी विनिमय दर को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। न्यायाधिकरण, भारतीय रुपये में परिवर्तित होने पर अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 'विशेष क्षति' शीर्षक के तहत मुआवजा देते समय, हम पाते हैं कि यह राशि दावा याचिका में दावेदार द्वारा दावा की गई राशि से बहुत कम आती है। अतः उक्त राशि में और कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता है।

16) हमारा यह भी विचार है कि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि को उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है और हमारे द्वारा 10 लाख रुपये की राशि का पंचाट देकर इसे और संशोधित किया गया है जो सहायक/परिचारक की लागत के लिए उचित है और इसमें किसी और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त बहस को ध्यान में रखते हुए, सिविल याचिका संख्या 2967 /2012 खारिज की जाती है। हालांकि, सिविल अपील संख्या- 9944-9946/2011 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निस्तारित किए जाते हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

न्यायाधीश (रंजन गोगोई)

न्यायाधीश (आर .के. अग्रवाल)

नई दिल्ली;

8 अक्टूबर, 2015

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।